भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2765

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
व्यापार समझौते

2765. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ किए गए व्यापार समझौते राष्ट्रीय हित के विरुद्ध थे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उक्त देशों के साथ व्यापार समझौतों को रद्द करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत बारह वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में पाम तेल का आयात किया गया और इस संबंध में कितनी राशि खर्च की गई है; और
(ङ) क्या वर्ष 2024-25 में पाम तेल के आयात पर लगभग 18.3 बिलियन अमरीकी डालर खर्च किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का मुख्य उद्देश्य संवर्धित बाजार पहुंच, सेवाओं में व्यापार, गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करके, निवेश संवर्धन और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना हैं।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ऐटीगा) पर दिनांक 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए और दिनांक 1 अगस्त 2011 तक सभी आसियान सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर फरवरी 2011 में हस्ताक्षर किए गए और यह दिनांक 1 अगस्त 2011 से लागू हुआ, जबकि भारत-कोरिया सीईपीए पर अगस्त 2009 में हस्ताक्षर किए गए और यह दिनांक 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। जापान और कोरिया के साथ सीईपीए ने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदार फ्रेमवर्क प्रदान किया है। भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), जो वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार और निवेश को कवर करता है, पर दिनांक 18 फरवरी 2011 को

हस्ताक्षर किए गए और यह दिनांक 1 जुलाई 2011 से लागू हुआ; और भारत-सिंगापुर सीईसीए, जो वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार और निवेश को कवर करता है, पर दिनांक 29 जून 2005 को हस्ताक्षर किए गए और यह दिनांक 1 अगस्त 2005 से लागू हुआ।

ऐटीगा के कार्यान्वयन के बाद से, भारत का आसियान को निर्यात वर्ष 2009-2010 में 18.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 38.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और आसियान से भारत का आयात भी वर्ष 2009-2010 में 25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 84.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आसियान देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2009-2010 में 43.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 123.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत-जापान सीईपीए के कार्यान्वयन के बाद से, भारत का जापान को निर्यात वर्ष 2011-2012 में 6.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा तथा वर्ष 2024-25 में 6.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो लगभग स्थिर है। वहीं, भारत का जापान से आयात वर्ष 2011-2012 में 11.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 18.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी प्रकार, भारत का जापान के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2011-2012 में 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 25.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत-कोरिया सीईपीए के अनुसार, कोरिया को भारत का निर्यात वर्ष 2010-2011 में 3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि कोरिया से भारत का आयात वर्ष 2010-2011 में 10.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 21.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कोरिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2010-2011 में 14.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 26.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

एफटीए अपनी संयुक्त समितियों और उप-समितियों के माध्यम से घरेलू उद्योग सहित हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करता है ताकि उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। एफटीए के लाभों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने और उन्हें घरेलू उद्योग की प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने के लिए, भारत और आसियान, आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा में रचनात्मक रूप से नियोजित हैं। इसके अलावा, भारत और कोरिया, भारत-कोरिया सीईपीए समझौते के उन्नयन के लिए वार्ता कर रहे हैं। भारत-सिंगापुर सीईसीए की दो समीक्षाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

भारत द्वारा मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), यूनाइटेड किंगडम (यूके), ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे साझेदारों के साथ हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौते भविष्य के लिए तैयार किए गए हैं, इनमें वस्तुओं

और सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सैनिटरी और फाईटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, व्यापार संबंधी उपचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुगमता, निवेश सुगमता और संरक्षण, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, सरकारी खरीद, सतत विकास, प्रतिस्पर्धा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), पारदर्शिता और सुशासनात्मक विनियामक परिपाटियों सहित विभिन्न विषयों को व्यापक रूप से कवर किया गया है। ये समझौते व्यापक दायरे वाले, संतुलित और समन्वित हैं ताकि व्यापार पूरकता का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा सके, व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सके, निर्यात क्षमता में वृद्धि हो सके, घरेलू उद्योग और किसानों के लिए अवसर सृजित हो सके और रोजगार सृजन हो सके।

(घ) और (ङ) वर्ष 2024-25 सहित पिछले बारह वर्षों में भारत द्वारा पाम तेल के आयात का मूल्य और मात्रा का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	**मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)**	**मात्रा (किलो टन में)**
2013-14	6748.76	7947.08
2014-15	6586.06	8360.74
2015-16	5948.36	9859.04
2016-17	6201.44	8350.01
2017-28	6918.37	9640.49
2018-19	5349.41	9066.94
2019-20	5239.74	8824.43
2020-21	5888.62	7642.43
2021-22	10343.18	8211.02
2022-23	11758.16	9865.87
2023-24	8337.02	9096.44
2024-25	8489.33	8045.47

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

*****